

मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4130
18.08.2025 को उत्तर के लिए

वनों की कटाई का पर्यावरण पर प्रभाव

4130. श्री सनातन पांडेय :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या कई शोधों से इस बात की जानकारी सामने आई है कि वनों की निरंतर कटाई और विनाश के कारण पर्यावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रही है जिसके परिणामस्वरूप ओज़ोन परत का क्षरण हो रहा है;
- (ख) भूमण्डलीय तापवृद्धि के कारण ग्लेशियरों के पिघलने और समुद्र के स्तर में निरंतर वृद्धि के कारण देश के विभिन्न शहरों के लिए उत्पन्न खतरे को देखते हुए सरकार की कार्ययोजना क्या है;
- (ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों के क्षेत्रफल में आई कमी का व्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या वनों की निरंतर कटाई और विनाश के कारण कई जानवर विलुप्त हो रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

- (क) जी नहीं, सरकार को ऐसे किसी शोध अध्ययन की जानकारी नहीं है जो ओज़ोन परत के क्षरण पर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव का संकेत देता हो। कार्बन डाइऑक्साइड ओज़ोन क्षरणकारी पदार्थ (ओडीएस) नहीं है और इसके उत्सर्जन का समताप मंडल की ओज़ोन परत क्षरण पर कोई सिद्ध प्रभाव नहीं है।
- (ख) सरकार जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) का क्रियान्वयन कर रही है, जो एक व्यापक नीतिगत ढाँचा है और इसमें सौर ऊर्जा, उन्नत ऊर्जा दक्षता, जल, कृषि, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, संधारणीय पर्यावास, हरित भारत, मानव स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यनीतिक ज्ञान जैसे

विशिष्ट क्षेत्रों में राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। इसके अलावा, 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एनएपीसीसी के उद्देश्यों के अनुरूप जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) तैयार की है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रासंगिक उपबंधों के तहत मौसम संबंधी आपदाओं सहित आपदाओं के कारण योजना, तैयारी, राहत, पुनर्बहाली और पुनर्वास के संदर्भ में संस्थागत और विनियामक कार्यठांचा स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने चक्रवात, बाढ़ और गर्म लहरों सहित चरम मौसम संबंधी आपदाओं के प्रबंधन के लिए कई आपदा-विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं।

भारत सरकार ने एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना (आईसीजेडएमपी) का कार्यान्वयन किया है, जिसने अन्य बातों के अलावा, भारत के संपूर्ण तटीय क्षेत्र के लिए जोखिम रेखा, पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों और तलछट कोशिकाओं के मानचित्रण में योगदान दिया है। इस जोखिम रेखा का उपयोग संबंधित तटीय राज्य एजेंसियों द्वारा तटीय पर्यावरण के लिए आपदा प्रबंधन के एक उपकरण के रूप में किया जाता है, जिसमें अनुकूलन और उपशमन संबंधी उपायों की योजना बनाना भी शामिल है।

इसके अलावा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह दो राष्ट्रीय मिशनों का कार्यान्वयन कर रहा है- हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र संधारणीयता राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसएचई) और जलवायु परिवर्तन के लिए कार्यनीतिक ज्ञान संबंधी राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसकेसीसी), तथा इन मिशनों के तहत देश भर के विभिन्न शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को जलवायु अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के तहत 'वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान (डब्ल्यूआईएचजी)', देहरादून, भारतीय हिमालय के विभिन्न जलवायु और भौगोलिक क्षेत्रों में 13 प्रमुख ग्लेशियरों की व्यवस्थित और दीर्घकालिक निगरानी कर रहा है। यह निगरानी ग्लेशियर द्रव्यमान संतुलन, स्नाउट रीट्रीट, सतही वेग और संबंधित जल विज्ञान मापदंडों का आकलन करने के लिए उपग्रह-आधारित रिमोट सेंसिंग डेटा को स्व-स्थाने क्षेत्र माप के साथ एकीकृत करती है।

(ग) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, खान मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित कई भारतीय संस्थान/विश्वविद्यालय/संगठन ग्लेशियर पिघलने सहित विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए हिमालयी ग्लेशियरों की निगरानी करते हैं और हिमालयी ग्लेशियरों में त्वरित विषम द्रव्यमान हानि की सूचना दी है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार, हिंदू कुश हिमालयी ग्लेशियरों की औसत वापसी दर 14.9 ± 15.1 मीटर/वर्ष (m/a) है; जो सिंधु में 12.7 ± 13.2 m/a, गंगा में 15.5 ± 14.4 m/a और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में 20.2 ± 19.7 m/a से भिन्न होती है। हालांकि, कराकोरम क्षेत्र के हिमनदों में तुलनात्मक

तौर पर मामूली लंबाई परिवर्तन (-1.37 ± 22.8 m/a) प्रदर्शित हुआ है। वर्ष 1975 से 2023 तक ग्लेशियरों के क्षेत्रीय माप के आधार पर, भारतीय हिमालयी ग्लेशियरों के संचयी द्रव्यमान की हानि का अनुमान -26 मीटर जल समतुल्य है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अपने स्वायत्त संस्थान, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर) के माध्यम से 2013 से पश्चिमी हिमालय में चंद्रा बेसिन (2437 वर्ग किमी क्षेत्र) में छह ग्लेशियरों की निगरानी कर रहा है। चंद्रा बेसिन में एक अत्याधुनिक क्षेत्र अनुसंधान स्टेशन 'हिमांश' स्थापित किया गया है और यह ग्लेशियरों पर क्षेत्र प्रयोग और अभियान चलाने के लिए 2016 से प्रचालन में है। चंद्रा बेसिन के लिए एनसीपीओआर द्वारा तैयार ग्लेशियर सूची से पता चलता है कि पिछले 20 वर्षों के दौरान इसने अपने हिमनद क्षेत्र का लगभग 6% खो दिया है। पिछले दशक के दौरान चंद्रा बेसिन के ग्लेशियरों के पीछे हटने की वार्षिक दर 13 से 33 मीटर/वर्ष तक रही है। ऊर्जा संतुलन मॉडल के आधार पर, ऊपरी चंद्रा बेसिन ग्लेशियरों का वर्ष 2015 से 2022 तक संचयी द्रव्यमान संतुलन -3.45 मीटर जल समतुल्य सहित अनुमानित औसत वार्षिक द्रव्यमान संतुलन -0.51 ± 0.28 मीटर जल समतुल्य प्रति वर्ष है।

(घ) वर्णों की कटाई और विनाश से कई जंगली जानवरों पर प्रभाव पड़ता है, जिसमें पर्यावास विनाश, शिकार का खतरा बढ़ना और भोजन की उपलब्धता में कमी शामिल है।
